माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – / विविध / संशोधन / 2016 जिला रायसेन /2016/

पानबाई पुत्री स्व.श्री हल्कू जाति सेरिया पत्नी स्व.श्री भारत सिंह दांगी निवासी ग्राम– बागोद सेवासनी तहसील एवं जिला उज्जेन

—— आवेदिका

बनाम

1– श्रीमती मिन्दाबाई पत्नी रामरतन
2– लाल सिंह आत्मज रामरतन
3– भगवान सिंह आत्मज हरिकिशन
4– मुल्लू उर्फ मर्दन सिंह आत्मज हरिकिशन
5– कोमलाबाई पुत्री हरिकिशन
6– थान सिंह आत्मज स्व. श्री दिलीप सिंह
7– टीकाराम आत्मज स्व.श्री दिलीप सिंह
8– सियाबाई पुत्री स्व.श्री दिलीप सिंह निवासीगण ग्राम बागोद सेवासनी तहसील व जिला रायसेन

—— अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं सहपठित धारा 32 रेमो:

महोदय,

प्रार्थी की ओर से संशोधन श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित प्रकरण क्रमांक 2644 पी.बी.आर/14 निर्णय दिनांक 28.07.2016 के संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यहकि, श्रीमान न्यायालय के समक्ष निर्णय पारित करने के पूर्व प्रार्थिया की जाति सेरिया भूलवश टंकणत्रुटि के कारण रह गई है । तथा निर्णय के पैरा 2 मैं दूसरी लाईन में आखरी शब्द सेरिया गलत हो गया है । उसके स्थान पर सेरिया तथा पृष्ठ 6 पर आखिरी शब्द जाति के पूर्व शब्द सारिया के स्थान सेरिया होना है ।

(2) यहकि, निर्णय के पैरा 2 में चौथी लाईन में जिला रायसेन स्थित भूमि के पहले पुराने सर्वे नम्बर 84/3, 84/5, 90/2 एवं 90/3 के बाद नये सर्वे क्रमांक 35,38,53 क्षेत्रफल 15.43 एकड़ की वह भूमि स्वामी है सही किया जाना है । पैरा 2 की छठवी लाईन सर्वे क्रमांक 165 के पहले नया शब्द छूटा है इसे सही होना है सांतवी लाईन में सर्वे क्रमांक 165 के आगें नया शब्द के स्थान पुराने होना है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9239–पीबीआर/2016 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–11–2016	आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में ऐसी कोई टंकण त्रुटि का उल्लेख किया गया है जिससे कि आदेश के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत संशोधन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।	
	अध्यक्ष	